

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग

राँची, दिनांक 05.11.15

अधिसूचना

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 2741 दिनांक 23.10.2003 के क्रम में प्रशासी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर श्री दिलीप तिर्की, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार अधिसूचित किया जाता है।

2. श्री तिर्की, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 2741 दिनांक 23.10.2003 की कंडिका-2 से 8 में वर्णित कार्यों के लिए योजना सह वित्त विभाग के प्रति उत्तरदायी होंगे।

3. पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद चन्द्र झा)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-7/विविध-2021/07...3278/वि. राँची, दिनांक 05.11.15
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद चन्द्र झा)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-7/विविध-2021/07...3278/वि. राँची, दिनांक 05.11.15
प्रतिलिपि : सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री दिलीप तिर्की, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/जन सूचना पदाधिकारी, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद चन्द्र झा)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-7/विविध-2021/07...3278/वि. राँची, दिनांक 05.11.15

प्रतिलिपि : प्रभारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(विनोद चन्द्र झा)
विशेष सचिव।